न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–60/2019 (GCMS No. 2019/00064) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

...........अपीलान्ट

बनाम

1. श्री राजेश यादव पुत्र श्री मंगलसिंह जाति यादव निवासी गौशाला धौलपुर हाल भूमि विकास बैंक के पास जी.टी. रोड धौलपुर।

..........रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2019 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 22/2018 उनवानी राजेश कुमार बनाम तहसीलदार धौलपुर

उपस्थितिः–

1. श्री राजकीय अभिभाषक, वकील अपीलान्ट
2. श्री कृष्ण कुमार सिंघल, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य — दिनांक : 27.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्व ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर की आराजी ख.नं. 775 रकवा 6 बीघा 03 विस्वा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडैन्ट राजेश कुमार खातेदार काश्तकार अंकित है। रेस्पो. द्वारा ख.नं. 775 की भूमि मौके पर कम होना कथन करते हुये एक आवेदन धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं दुरूस्ती इन्द्राज के लिए गलत तथ्यों के आधार पर ख.नं. 774 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा किस्म चारागाह जो ख.नं. 775 से सटा हुआ है, को हडपने की नीयत से उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। रेस्पोडैन्ट के द्वारा अपने आवेदन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पत्र के साथ स्वयं द्वारा नक्शा तैयार कराया गया जिसे मौके का नक्शा बताते हुये चारागाह भूमि स्वयं की भूमि होना बताया। इस नक्शे को बिना किसी आधार के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा सही मानते हुये चारागाह भूमि को ख.नं. 775 में मिलाने का दिनांक 19.02.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर की आराजी ख.नं. 775 रकवा 6 बीघा 03 विस्वा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडैन्ट राजेश कुमार खातेदार काश्तकार अंकित है। रेस्पो. द्वारा ख.नं. 775 की भूमि मौके पर कम होना कथन करते हुये एक आवेदन धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं दुरूस्ती इन्द्राज के लिए गलत तथ्यों के आधार पर ख.नं. 774 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा किस्म चारागाह जो ख.नं. 775 से सटा हुआ है को हडपने की नीयत से उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। रेस्पोडैन्ट के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा नक्शा तैयार कराया गया जिसे मौके का नक्शा बताते हुये चारागाह भूमि स्वयं की होना बताया। इस नक्शे को बिना किसी आधार के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा सही मानते हुये चारागाह भूमि को ख.नं. 775 में मिलाने का दिनांक 19.02.2019 को आदेश पारित किया गया किन्तु उन्होंने अपने निर्णय में यह उल्लेख नहीं किया कि चारागाह ख.नं. 774 से रिकार्ड में स्थापित है उसको रिकार्ड से विलोपित किया जावे या नहीं। ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर की आराजी ख.नं. 774 रकवा 02 बीघा 02 विस्वा की किस्म राजस्व रिकार्ड में चारागाह है। चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि की श्रणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार चारागाह भूमि के रकवा एवं स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और न ही उपखण्ड अधिकारी को चारागाह भूमि को राजस्व रिकार्ड से कम करने का अधिकार प्राप्त है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 131 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीमी त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है किन्तु जो ख.नं. पूर्व से चारागाह हो तथा राजस्व नक्शे में पूर्व से पृथक ख.नं. हो उसका बजूद समाप्त कर ख़ातेदारी के ख.नं. में शामिल नहीं किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड का परीक्षण नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय की सूचना जिला कलक्टर धौलपुर को प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिनांक 29.04.2019 द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति प्रदान की गई। माह अप्रेल व मई में लोक सभा चुनाव –2019 में व्यस्तता रहने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश करने में बिलम्ब हुआ है। बिलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत मय शपथ पत्र आवेदन अपील के साथ प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में लगे समय को माफ कर अपील अन्दर मियाद अवधि माना जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2019 निरस्त किया जावे।

4. विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहाँ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 नक्शे में कमी पूर्ति के लिए पेश किया गया। राजस्व नक्शे में कमी की दुरूस्ती चाही गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया है। जमीन आबादी के पास होने से पैमाईश नहीं करने का तर्क तहसीलदार धौलपुर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में किया गया। रिकार्ड में रकवा सही है। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 601 था जिसमें हाल ख. सं. 774 व 775 बने। ख.नं. 775 में ख. नं. 774 की आराजी शामिल है। ख.नं. 775 में रकवा कम कर दिया और ख.नं. 774 में रकवा बढा दिया गया है। चारागाह का कोई रकवा कम नहीं किया गया है। केवल नक्शे की दुरूस्ती का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा जबाब बहस में कथन किया कि चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबंधित है। भूमि चारागाह दर्ज है जिसे कम नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह अप्रेल व मई में लोक सभा चुनाव –2019 में व्यस्तता रहने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण अपील पेश करने में बिलम्ब होना अंकित किया है। बिलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत मय शपथ पत्र आवेदन अपील के साथ प्रस्तुत किया है। न्यायालय के मत में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण पर्याप्त है। अतः अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

7. प्रेमनारायण पुत्र शिवनारायण कौम कायस्थ निवासी धौलपुर को खसरा नम्बर 775 रकवा 6 बीघा 3 विस्वा भूमि आवंटित की गई थी। भू प्रबंध विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2020 में इसका नोट अंकित है जिसमें प्रेमनारायण पुत्र शिवनारायण को गैर खातेदार अलौटी उल्लिखित किया है। इसी जमाबन्दी में ख.सं. 774 रकवा 2 बीघा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1 विस्वा को बंजड अव्वल से चारागाह उल्लिखित किया है। जमाबन्दी में उल्लिखित किये गये कई अन्य खसरा नम्बरान की किस्मों में भी परिवर्तन भू प्रबंध विभाग द्वारा किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 उक्त दोनों खसरा नम्बरान 774 व 775 साविक ख.नं. 601 मि. से बने हैं। प्रेमनारायण पुत्र शिवनारायण की खातेदारी में आने पर जरिये नामांतरकरण संख्या 625 दिनांक 20.01.2004 को रेस्पो. के नाम ख. सं. 774 रकवा 6 बीघा 3 विस्वा खातेदारी आई। आवंटन के पश्चात ख.सं. 775 रकवा 6 बीघा 3 विस्वा भूमि की स्पष्ट तरमीम राजस्व नक्शे में की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साविक एवं हाल राजस्व नक्शों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा आवंटन अनुरूप रकवे की तरमीम राजस्व नक्शे में नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र बावत् नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 राजस्व भू अधिनियम 1956 पेश किया। किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। पैरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में केवल मौखिक रूप से यह कथन किया कि आबादी के कारण मौके पर पैमाईश नहीं हो पाने के कारण यह नहीं बताया जा सकता कि कितना रकवा 775 में कम है तथा किस नम्बर में बढा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में यह तो स्वीकार है कि ख.सं. 775 का रकवा कम है। प्रस्तुत अपील में भी अपीलान्ट द्वारा यह कहीं भी उल्लिखित नहीं किया है कि ख.सं. 774 में रेस्पो. की भूमि से कम हुआ रकवा नहीं बढा है। अपील केवल यह उल्लिखित करते हुए पेश की है कि ख.सं. 774 रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। आर.टी.ए. 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रकरण चारागाह भूमि के रकवे में कमी अथवा चारागाह भूमि के आवंटन का नहीं होकर रेस्पो. की आराजी से कम रकवे की नक्शे में शुद्धि का है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा रेस्पो. की आराजी का रकवे अनुसार नक्शा दुरूस्ती हेतु कोई भी प्रयास किये गये हों अथवा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. द्वारा प्रस्तावित नक्शा पर विश्वास न किये जाने के क्या आधार हैं। केवल मौखिक रूप से यह कह देना कि आबादी होने के कारण पैमाईश संभव नहीं है, न्यायोचित नहीं है। आवंटित भूमि ख.नं. 775 का रकवा 6 बीघा 3 विस्वा था। रेस्पो. ने आवंटी खातेदारान को उक्त आवंटी सद्भावी रूप में क्रय कर नियमानुसार खातेदारी प्राप्त की। मुताबिक रिकार्ड नक्शा दुरूस्ती का विधिक अधिकार रेस्पो. का है। अपीलान्ट का यह कानूनी दायित्व था कि उनके द्वारा रेस्पो. के खातेदारी में दर्ज रकवे के अनुसरण में मुताबिक आवंटन राजस्व नक्शे में तरमीम की जाती। मुताबिक रिकार्ड नक्शा दुरूस्ती का विधिक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अधिकार रेस्पो. का है। नक्शा दुरूस्ती हेतु अपीलान्ट द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2019 में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। तदनुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2019 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-06-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर